न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर
पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
5/19/2019

तारीख दायर
03.12.2019

तारीख निर्णय
02.05.2022

बउनवान

1–मु.धनबाई बेवा मनीराम उर्फ मन्नूराम जाति जाट
2–रिन्कू कुमार पुत्र स्व. मनीराम उर्फ मन्नूराम जाति जाट
3–अनिता पुत्री स्व.मनीराम उर्फ मन्नूराम जाति जाट निवासीयान ग्राम कैरवाजाट तहसील अलवर जिला अलवर–राजस्थान

––अपीलान्टान

बनाम

1–ग्राम पंचायत खेडली सैयद पंचायत समिति रामगढ जिला अलवर –राज0
2–राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अलवर लैण्डहोल्डर

––रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 20/7/2004 बाबत विरासत इंतकाल संख्या 336 वाके ग्राम कैरवाजाट तहसील अलवर

:निर्णय:

वकील अपीलान्ट ने ग्राम पंचायत खैडली सैयद के आदेश दिनांक 20.07.2004 बाबत विरासत इन्तकाल संख्या 336 वाके ग्राम कैरवाजाट के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील मे दर्ज अपीलान्टान मे से अपीलान्ट संख्या 1 का वास्तविक नाम मु. धनबाई बेवा मनीराम उर्फ मन्नूराम है नाकि मु.धोली बेवा मनीराम व अपीलान्ट संख्या 2 का नाम रिन्कू कुमार पुत्र मनीराम उर्फ मन्नूराम है नाकि अमित कुमार पुत्र मनीराम व अपीलान्ट संख्या 3 का नाम अनिता पुत्री मनीराम उर्फ मन्नूराम है नाकि अन्नीबाई पुत्री मनीराम हम अपीलान्टान अपने वास्तविक नाम की पुष्टि के लिए आवश्यक दस्तावेज जिनमे आधार कार्ड, राशन कार्ड, अपीलान्ट रिन्कू कुमार की शैक्षणिक योग्यता के कागजात आदि शामिल है मिन अपीलान्ट रिन्कू कुमार की शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज मे अपीलान्ट रिन्कू कुमार की माता अपीलान्ट संख्या एक का नाम धनबाई व पिता का नाम मन्नूराम अंकित है आराजी खसरा नम्बर 1051 रकबा 0.50, 1052 रकबा 1.23, 1053 रकबा 0.38, 1054 रकबा 0.65, 1055 रकबा 1.75 है.किता 5 रकबा 4.51 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1162 रकबा 0.81 है. वाके ग्राम कैरवाजाट तहसील अलवर व आराजी खसरा नम्बर 308 रकबा 0.83, 309 रकबा 0.34, 888 रकबा 0.48, 889 रकबा 0.48, 890 रकबा 0.27, 890/1695 रकबा 0.01, 891 रकबा 0.70, 892 रकबा 0.57 किता 8 रकबा 3.68 हैक्टेयर वाके ग्राम कैरवाजाट तहसील अलवर जिला अलवर मे विद्यमान है। जिस आराजीयात के अपीलान्टान के पति/पिता मनीराम उर्फ मन्नूराम रिकॉर्डेड खातेदार काबिज काश्तकार रहे है जिनका देहान्त हो चुका है जिनका विरासत इंतकाल संख्या 336 दिनाक 20/7/2004 को मृतक मनीराम उर्फ मन्नूराम के वारिसान के हक मे रेस्पॉडेन्ट द्वारा स्वीकृत किया गया ।मृतक मनीराम उर्फ मन्नूराम के वारिसो मे अपीलान्टान का

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

नाम भी शामिल है विरासत इंतकाल में अपीलान्ट संख्या एक का नाम मु. धोली बेवा मनीराम दर्ज किया गया है जबकि अपीलान्ट संख्या एक का वास्तविक नाम मु.धनवाई बेवा मनीराम उर्फ मन्नूराम है तथा इसी प्रकार अपीलान्ट संख्या दो का नाम अमित कुमार पुत्र मनीराम दर्ज किया गया है जबकि अपीलान्ट संख्या दो का वास्तविक नाम रिन्कू कुमार पुत्र मनीराम उर्फ मन्नूराम हैतथा इसी प्रकार अपीलान्ट संख्या तीन का नाम अन्नीबाई पुत्री मनीराम दर्ज किया गया है जबकि अपीलान्ट संख्या तीन का वास्तविक नाम अनिता पुत्री मनीराम उर्फ मन्नराम है। यही नाम अपीलान्टान विरासत इंतकाल मे दर्ज कराना चाहते हैं। अपीलान्ट संख्या एक मु. धनबाई के नाम की अन्य आराजी खसरा नम्बर 296 रकबा 0. 73 है. वाके कैरवाजाट तहसील अलवर मे है जिस आराजी से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड मे मिन अपीलान्ट संख्या एक का नाम मु.धोली पत्नी मनीराम दर्ज किया हुआ है जिसमे भी मिन अपीलान्ट संख्या एक अपना वास्तविक नाम मु.धनबाई पत्नी मनीराम उर्फ मन्नूराम दर्ज कराना चाहती है। हम अपीलाटान के पति/पिता को मन्नूराम के नाम से पुकारते है यही नाम हम अपीलान्टान की आईडी मे दर्ज है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड मे हम अपीलान्टान के पति/पिता का नाम मनीराम उर्फ मन्नूराम दर्ज कराना चाहते है। बिना सफनवाई किऐ,प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत व विधि विरूद्ध आलोच्य आदेश दिनाक 20/7/2004 अपीलान्ट के त्रुटिपूर्वक दर्ज नाम की हद तक काबिले अपास्त योग्य है। उक्त विरासत इंतकाल में नाम की त्रुटि के कारण हम अपीलान्टान को भारी परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए विरासत इंतकाल मे नाम दुरूस्त किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः अपील अपीलान्टान पेश कर निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहत अदालत ग्राम पंचायत खेड़ली सैयद तहसील अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20/7/2004 बाबत विरासत इंतकाल संख्या 336 वाके ग्राम कैरवाजाट तहसील व जिला अलवर अपास्त करते हुऐ विरासत इंतकाल संख्या 336 मे हम अपीलान्टान का व हम अपीलान्टान के पति/पिता का दर्ज नाम के स्थान विरासत इंतकाल मे अपीलान्टान का नाम वास्तविक नाम अपीलान्ट संख्या एक का नाम मु. धनबाई बेवा मनीराम उर्फ मन्नूराम व अपीलान्ट संख्या दो का नाम रिन्कू कुमार पुत्र मनीराम उर्फ मन्नूराम व अपीलान्ट संख्या तीन का नाम अनिता पुत्री मनीराम उर्फ मन्नूराम व अपीलान्टानके पति/पिता का नाम मनीराम उर्फ मन्नूराम दर्ज कराते हुए संशोधित विरासत प्रता इंतकाल स्वीकृत कराये जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जावे ।

अपील दर्ज रजिस्ट्रर कर रेस्पोडेन्ट जर्ये नोटिस तलब किये गये। रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब आदि पेश नही किया। तहसीलदार अलवर से अपील में अंकित अपीलान्ट के नामों के संबंध में रिर्पोट ली गई। तहसीलदार अलवर ने अपनी रिर्पोट में अंकित किया कि मुताबिक नामान्तरकरण संख्या 336 दिनांक 20.07.2004 वाके ग्राम कैरवाजाट मनीराम पुत्र रामहेत के वारिसान मु0धोली बेवा मनीराम, अमित कुमार पुत्र मनीराम, ममता, अन्नी बाई पुत्रीयान मनीराम वगै0 के नाम दर्ज होकर स्वीकृत हुआ है। तहसीलदार अलवर ने अवगत कराया है,कि मु0धोली को धनबाई के नाम से, अमित कुमार को रिंकु कुमार के नाम से एवं अन्नी बाई को अनिता बाई के नाम से जाना जाता है। साथ ही मृतक मनीराम को मन्नुराम के नाम से भी जाना जाता था। वकील अपीलान्ट की बहस सुनी।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। तहसीलदार अलवर की रिर्पोट एवं पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार अलवर ने अपनी रिर्पोट में मु0धोली को धनबाई के नाम

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

से, अमित कुमार को रिंकु कुमार के नाम से एवं अन्नी बाई को अनिता बाई के नाम से एवं मृतक मनीराम को मन्नुराम के नाम से भी जाना जाता अवगत कराया। अपीलान्ट ने नाम के संबंध में अपनी अपील की ताईद में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंक तालिका,एवं कक्षा 8 वीं बोर्ड परीक्षा की अंक तालिका की छाया प्रति प्रस्तुत की है। उपरोक्त दस्तावेजात एवं तहसीलदार अलवर की रिर्पोट पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहत पारित आलोच्य आदेश ग्राम पंचायत खैडली सैयद दिनांक 20.07.2004 बाबत विरासत इंतकाल संख्या 336 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है,कि मृतक मनीराम के वारिसान के नाम की भली प्रकार जांच कर पुनः सही नाम दर्ज करते हुए पुनः नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करे।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

निर्णय आज दिनांक 02.05.2022 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर